ADB

www.compliance.adb.org

एशियन डेवलपमैंट बैंक

ज़िम्मेदारी प्रक्रिया

एशियन डेवलपमैंट बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों की बातें सुनना और विकास की कारगरता को बढ़ाना।

एशियन डेवलपमैंट बैंक के बारे में

एशियन डेवलपमैंट बैंक (ए.डी.बी.) एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है जिसके 63 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशान्त क्षेत्र को गरीबी से मुक्त कराना है। अपने विकासशील सदस्य देशों की सरकारों और ग़ैर–सरकारी उद्यमियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान, एक्विटि निवेश और गांरटी दे कर ए.डी.बी. अपने अनेकानेक विकास क्रियाकलापों के माध्यम से लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायता करता है।

ए.डी.बी. की ज़िम्मेदारी प्रक्रिया क्या है?

मई 2003 में ए.डी.बी. ने पुरानी निरीक्षण कार्यप्रणाली के स्थान पर नई ज़िम्मेदारी प्रक्रिया स्वीकृत की। यह प्रक्रिया इस उद्देश्य से स्थापित की गयी ताकि ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण जिन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वे अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से बता सकें और उनका समाधान प्राप्त कर सकें और साथ ही ए.डी.बी. की परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघनों के बारे में रिपोर्ट कर सकें।

नई प्रक्रिया की स्थापना ए.डी.बी. की विकास प्रभावकारिता का विस्तार करने, परियोजना गुणवत्ता बढ़ाने और उसके कार्यकरण में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक प्रयास भी है।

इस प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता इसके दो परस्पर सम्बंधित कृत्य है : परामर्श और अनुपालन पुनरीक्षा। पहला है समस्या के समाधान पर ध्यान केन्द्रित करते हुए साझेदारों के बीच परामर्श। यदि शिकायत अनुपयुक्त पाई जाती है, दावेदार परामर्श प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है अथवा परामर्श प्रक्रिया अग्रिम चरण में पहुंच गयी है और अनुपालन पुनरीक्षा के बारे में आशंकाएं हैं तो दावेदार अनुपालन पुनरीक्षा का अनुरोध कर सकता है।

परामर्श चरण क्या है?

- परामर्श चरण का उद्देश्य उन लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढना और सहायता करना है जिन पर ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसे ए.डी.बी. के स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (Special Project Facilitator/SPF) द्वारा चलाया जा रहा है।

- परामर्श चरण, शिकायत की पात्रता पर विचार करते ही आरम्भ हो जाता है। यदि शिकायत स्वीकृत हो जाती है तो ध्यान सभी निहित पक्षों के बीच समझौता कराने पर केन्द्रित हो जाता है जैसे परियोजना कार्यान्वयक, विकासशील देश की सदस्य सरकार अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र के प्रायोजक और ए.डी.बी। तथापि स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) विकासशील सदस्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

- स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) समस्या समाधान का अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है किन्तु यह ए.डी.बी. के परिचालन विभाग द्वारा किये जाने वाले परियोजना प्रशासन की भूमिका का स्थान नहीं लेता है वह सीधे ए.डी.बी. के प्रेजीडेंट को रिपोर्ट करता/करती है और सिफारिश करता/करती है कि शिकायत को निपटाने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही की जाए। वह परामर्श प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुए समझौते के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता/रखती है।

"मुझे विश्वास है कि साझेदारों के सहयोग से ज़िम्मेदारी प्रक्रिया उनकी इस मांग को पूरा करेगी कि ए.डी.बी. परियोजना से प्रभावित लोगों की शिकायतों पर तत्काल ध्यान दे और एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करे जो ए.डी.बी. की जवाबदेही को बढ़ायेगी।"

टाडाओ चिनो
ए.डी.बी प्रेजीडेंट
की ज़िम्मेदारी की प्रक्रिया के प्रभावी होने के बारे में वक्तव्य
दिसम्बर 2003

अनुपालन पुनरीक्षा चरण क्या है?

- अनुपालन पुनरीक्षा में परियोजना से प्रभावित लोगों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और इस बात पर भी कि क्या ऐसा ए.डी.बी. द्वारा हुई प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण क्षति, परियोजना को तैयार करने, उस पर कार्य करने अथवा उसे कार्यान्वित करने में उसकी परिचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के उल्लघंन के कारण तो नहीं हुआ है। अनुपालन पुनरीक्षा एक स्वतंत्र अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (Compliance Review Panel/CRP) द्वारा की जाती है।

- पैनल द्वारा ए.डी.बी. के निदेशक मंडल को अनुपालन पुनरीक्षा अनुरोध की पात्रता की सिफारिश करने के साथ ही अनुपालन पुनरीक्षा आरम्भ हो जाती है। स्वीकृति मिल जाने पर पैनल एक स्वंतत्र जांच करता है और परियोजना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें परियोजना क्षेत्र में उपचारात्मक परिवर्तन और परियोजना का कार्यान्वयन शामिल है, निदेश्क मंडल को सिफारिशें करता है।

- पैनल की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है जो अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) का कार्यालय होता है। पैनल निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किसी भी उपचारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखेगा।

शिकायत/अनुरोध कौन दर्ज करा सकता है?

- देश में जहां पर ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजना स्थित है अथवा जिस निकटवर्ती सदस्य देश में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह यह कोई संगठन, एसोसियेशन, सोसाइटी अथवा व्यक्तियों का अन्य समूह हो सकता है।

- परियोजना प्रभावित लोगों द्वारा नियुक्त कोई स्थानीय प्रतिनिधि।

- अपवाद स्वरूप ऐसे मामलों जहां स्थानीय प्रतिनिधि न मिल रहा हो और स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) सहमत हो और अनुरोध किये जाने की स्थिति में अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) सहमत हो, गैर–स्थानीय प्रतिनिधि।

- कोई भी बोर्ड का सदस्य चालू परियोजनाओं के संबंध में विशेष परिस्थितियों में अनुरोध दर्ज कर सकता है।

शिकायत/अनुरोध कैसे दर्ज करें

दावाकर्त्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे पहले स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) के पास अपनी शिकायत दर्ज करायें। यदि उनकी शिकायत अनुपयुक्त पाई जाती है, यदि वे परामर्श प्रक्रिया से सन्तुष्ट नहीं हैं, अथवा यदि परामर्श प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर पहुंच गई है और अनुपालन मामलों के बारे में समस्यायें है तो वे अपना अनुरोध अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के पास दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत/अनुरोध लिखित में किये जाने चाहिए और उसे स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF)/ सचिव, अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) के पास डाक, फैक्स अथवा इलैक्ट्रानिक मेल अथवा दस्ती डाक द्वारा ए.डी.बी. मुख्यालय अथवा किसी भी ए.डी.बी. रेजिडेन्ट मिशन अथवा प्रतिनिधि कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। शिकायत/अनुरोध अंग्रेजी में भेजा जाना चाहिए अथवा यदि शिकायतकर्त्ता/अनुरोधकर्त्ता अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो ए.डी.बी. के किसी भी विकासशील सदस्य देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा में भेजा जाए। अनुरोध करने पर दावाकर्त्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी, परन्तु गुमनाम शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

शिकायत/अनुरोध के लिए कौन से मामले उपयुक्त नहीं हैं?

- ए.डी.बी. अथवा परियोजना कार्यान्वयक द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और परामर्शी सेवाओं की खरीद के संबंध में निर्णय। इन मामलों को ए.डी.बी. के सेन्ट्रल आपरेशन्स सर्विसेज़ आफिस, को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए www.adb.org/COSO पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- परियोजना में तथा ए.डी.बी. स्टाफ द्वारा की जा रही धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसे मामलों को ए.डी.बी. एन्टीकरप्शन यूनिट, आडिटर जनरल के ऑफिस को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए www.adb.org/Anticorruption/unit.asp पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- परियोजना जिसके लिए आमतौर पर परियोजना के वस्तुगत रूप से पूरा होने के दो वर्षों के भीतर एक परियोजना समापन रिपोर्ट जारी की गयी है।
- मामले जिन पर पिछले निरीक्षण कार्य के अधीन अथवा अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।
- 29 मई 2003 से पहले की गैर–सरकारी क्षेत्र परियोजनायें जिनकी अवधारणा स्वीकृत हो गई है।

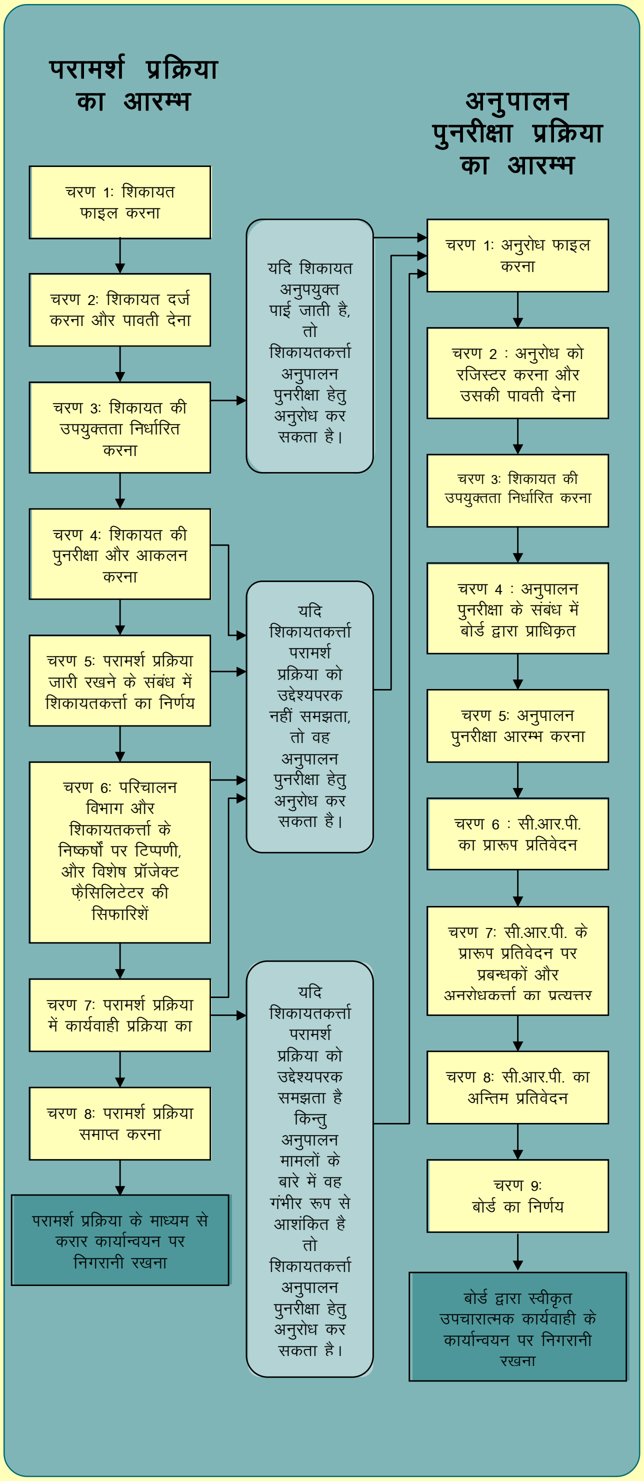

ए.डी.बी. ज़िम्मेदारी प्रक्रिया के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए www.compliance.adb.org पर जाएं।

शिकायत की विषय वस्तु

शिकायत में निम्नलिखित बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए :

- शिकायतकर्त्ता पर ए.डी.बी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो।
- जिस प्रत्यक्ष और गंभीर नुकसान का दावा किया गया है वह ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तैयार किये जाने, लागू किये जाने अथवा कार्यान्वयन की कार्यवाही के दौरान ए.डी.बी. के किसी कृत्य या अकृत्य के कारण हुआ है या होगा।
- ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण जिन अधिकारों या हितों पर प्रत्यक्ष रूप से गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो अथवा पड़ने की संभावना हो उनका विवरण।
- शिकायतकर्त्ता (और किसी प्रतिनिधि) की पहचान और सम्पर्क संबंधी जानकारी और यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो कि शिकायतकर्त्ता की पहचान गोपनीय रखी जाए तो ऐसे अनुरोध का कारण।
- यदि कोई प्रतिनिधि है तो परियोजना से प्रभावित लोगों की पहचान और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकार का प्रमाण।
- ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण जिसमें उनका नाम और स्थान यदि उपलब्ध हों, दिया हो।
- ऐसे वांछित परिणाम अथवा उपचार जिन्हे परियोजना से प्रभावित लोगों के अनुसार कि ए.डी.बी. को स्वयं अथवा स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) के माध्यम से उपलब्ध कराने चाहिए।
- शिकायतकर्त्ता द्वारा एक सद्प्रयास के रूप में संबंधित परिचालन विभाग को पहले भेजी गई समस्या का विवरण
- उपर्युक्त कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती, इसके संबंध में स्पष्टीकरण।
- पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों के साथ कोई अन्य संगत मामला अथवा तथ्य।

स्पेशल प्रोजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) के लिए सम्पर्क करें:

Special Project Facilitator
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City 1550
Philippines

टेली: +632 632-4825
फैक्स: +632 636-2490
ई मेल: spf@adb.org
इंटरनेट: www.adb.org/spf

अनुपालन पुनरीक्षा संबंधी अनुरोध की विषय वस्तु

अनुरोध में निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख हो :

- अनुरोधकर्त्ता पर ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप से गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो या पड़ने की संभावना हो।
- जिस प्रत्यक्ष और गंभीर नुक़सान का दावा किया गया है वह ए.डी.बी. से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को तैयार करने, लागू करने अथवा कार्यान्वित करने की कार्यवाही संचालनात्मक नीति के दौरान ए.डी.बी. के किसी कृत्य या अकृत्य के कारण और कथित रूप से अपनी परिचालन प्रक्रिया का पालन न कर पाने के परिणामस्वरूप है अथवा होगा।
- ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कारण जिन अधिकारों या हितों पर प्रत्यक्ष रूप से गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो अथवा पड़ने की संभावना हो उन का विवरण।
- अनुरोधकर्त्ता की पहचान और सम्पर्क संबंधी जानकारी तथा गोपनीयता के किसी अनुरोध कारण
- यदि कोई प्रतिनिधि है तो परियोजना से प्रभावित लोगों की पहचान और उनका प्रतिनिधित्व करने के प्राधिकार का प्रमाण।
- ए.डी.बी. सहायता प्राप्त परियोजना का उसके नाम और स्थान सहित संक्षिप्त विवरण।
- वे वांछित परिणाम और उपचार जो परियोजना से प्रभावित लोगों के अनुसार ए.डी.बी. को उपलब्ध कराने चाहिए।
- अनुरोधकर्त्ता द्वारा पहले शिकायत स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) को भेजने के प्रयास से प्राप्त परिणामों के संबंध में स्पष्टीकरण अथवा यदि स्पेशल प्रॉजेक्ट फ़ैसिलिटेटर (SPF) ने शिकायत को अनुपयुक्त पा कर रद्द कर दिया हो इस संबंध में स्प टीकरण कि अनुरोध अनुपालन पुनरीक्षा के लिए भी उपयुक्त क्यों नहीं हैं।
- एक स्पष्टीकरण कि उपर्युक्त कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती है।
- पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों के साथ कोई अन्य संगत मामला अथवा तथ्य।

अनुपालन पुनरीक्षा पैनल (CRP) से निम्नलिखित पर सम्पर्क किया जा सकता है:

Secretary, Compliance Review Panel
Asian Development Bank
6 ADB Avenue
Mandaluyong City 1550
Philippines

टेलि: +632 632-4149
फैक्स: +632 636-2088
ई मेल: crp@adb.org
इंटरनेट: www.compliance.adb.org

अंग्रेजी संस्करण मार्च 2004 में जारी।
यह दस्तावेज़ अंग्रेज़ी संस्करण से अनुवाद किया गया है। इस दस्तावेज़ में किसी भी कमी अथवा विवाद की स्थिति में प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी संस्करण ही है।
हिन्दी संस्करण अक्तूबर 2004 में मुद्रित।